

प्रेषक विमल प्रकाश आर्य
अपर सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) झाँसी ।
(चौदहवी वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

सेवा में श्रीमान जनपद न्यायाधीश
झाँसी ।

विषय:- अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला (एडवोकेट) द्वारा श्रीमान जी को प्रेषित प्रार्थनापत्र दिनांकित 02. 12. 2021 व शपथपत्र दिनांकित 03. 12. 2021 तथा दिनांक 16. 12. 2021 को प्रस्तुत अन्तरण प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र व एक किता जुडवा सम्मन (छायाप्रति) जिसमें एक भाग पर सफैदा लगा हुआ था, के बावत स्वयं कार्यवाही किये जाने व कार्यवाही किये जाने हेतु सूचना मा० उच्च न्यायालय को प्रेषित किये जाने के संबंध में ।

महोदय

सादर अवगत कराना है कि अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला (एडवोकेट) द्वारा श्रीमान जी को दिनांक 02. 12. 2021 को तथाकथित एक किता जुडवा सम्मन (छायाप्रति) जिसमें एक भाग पर सफैदा लगा हुआ था और जिसके समर्थन में शपथपत्र दिनांकित 03. 12. 2021 प्रस्तुत किया था जो समक्ष श्रीमान महा निबंधक महोदय मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा श्रीमान जनपद न्यायाधीश झाँसी को संबोधित है जिसके संबंध में श्रीमान जी द्वारा मुझ पीठासीन अधिकारी से आख्या तलब की गयी थी , जिसके बावत मैंने श्रीमान जी को अवगत कराया था कि शिकायती प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न एक किता जुडवा सम्मन (छायाप्रति) मूल की छायाप्रति नहीं है ।

उक्त अभियुक्त व अधिवक्ता ने दिनांक 16. 12. 2021 को प्रकीर्ण वाद सं०- 429/ 2021 को मेरे न्यायालय से स्थानान्तरित कराने के बावत श्रीमान जी के समक्ष स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था तथा प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र दाखिल किया था एवं तथाकथित एक किता जुडवा सम्मन (छायाप्रति) जिसमें एक भाग पर सफैदा लगा हुआ था और श्रीमान जी द्वारा उक्त के संबंध में मुझसे आख्या तलब की थी ।

मेरे द्वारा श्रीमान जी को प्रकीर्ण वाद सं० 429/ 2021 की पत्रावली में दाखिल तामील शुदा मूल सम्मन की निःशुल्क सत्यप्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया गया जिसके अनुपालन में मुझे प्रकीर्ण वाद सं० 429/ 2021 की पत्रावली में अभियुक्त पर दिनांक 23. 12. 2021 को तामीलशुदा सम्मन की दोनों तरफ की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त हुई है ।

चूँकि अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला ने श्रीमान जी को दिनांक 02. 12. 2021 को गलत तथ्यों के आधार पर शिकायती प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र की प्रतिलिपि प्रदान की व मा० उच्च न्यायालय को भी गलत व झूठा शिकायती प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया तथा अभियुक्त ने पुनः दिनांक 16. 12. 2021 को श्रीमान जी के समक्ष गलत व झूठा अन्तरण प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया ।


चूँकि अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला पर सम्मन दिनांक 23. 12. 2021 को तामील हुआ जबकि अभियुक्त ने दिनांक 02. 12. 2021 व दिनांक 16. 12. 2021 को सम्मन तामील होने के पूर्व ही श्रीमान जी व मा० उच्च न्यायालय को गलत सूचना प्रस्तुत की । मेरे द्वारा अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के बावत श्रीमान जी को पूर्व में अवगत कराया जा चुका है व सुसंगत प्रतिलिपियाँ भी प्रेषित की जा चुकी हैं , किन्तु अभियुक्त के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

इस कारण अभियुक्त का मनोबल बढ़ा हुआ है और इसी कारण अभियुक्त ने अपने साक्षी अधिवक्ताओं के साथ मिलकर दिनांक 22.02.2022 से दिनांक 24.02.2022 तक न्यायालय परिसर में न्यायालय कार्यावधि में गैर कानूनी तरीके से धरना - प्रदर्शन, नारेबाजी व शोर-शराबा कारित किया। इस संबंध में मेरे द्वारा दिनांक 22.02.2022 व दिनांक 24.02.2022 को श्रीमान जी को सूचना प्रेषित की गयी और सिविल अपील सं०-51/2020 ओमप्रकाश बनाम सन्तोष कुमार में व्यवधान कारित होने पर इस तथ्य का उल्लेख भी किया गया।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि अभियुक्त द्वारा श्रीमान जी को उपरोक्त तिथियों पर दिये गये शिकायती व अन्तरण प्रार्थनापत्र के बावत स्वतः संज्ञान लेते हुये अभियुक्त के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने की कृपा करें तथा अभियुक्त द्वारा दिनांक 03.12.2021 को समक्ष श्रीमान महानिबंधक महोदय मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा श्रीमान जनपद न्यायाधीश झाँसी के बावत निष्पादित शपथपत्र व प्रार्थनापत्र दिनांकित 02.12.2021 के बावत अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद को सूचित करने की कृपा करें।

चूँकि अभियुक्त द्वारा व्यक्तिगत रूप से मेरे प्रति विद्वेष का भाव रखते हुये दिनांक 02.12.2021 व 16.12.2021 को प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र एक किता जुडवा सम्मन (छायाप्रति) जिसमें एक भाग पर सफ़ैदा लगा हुआ था, के आधार पर झूठी शिकायत की गयी है, जबकि उपरोक्त तिथियों पर अभियुक्त पर सम्मन तामील ही नहीं था। अतः अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला के उपरोक्त कृत्य के बावत कार्यवाही किये जाने हेतु मेरे द्वारा पृथक से मा० उच्च न्यायालय को सूचित किया जायेगा।

भवदीय


30.03.2022

(विमल प्रकाश आर्य)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) झाँसी।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

दिनांक- 30.03.2022

संलग्नक:-

1. अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला द्वारा दिनांक 02.12.2021 व 16.12.2021 को प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न एक किता जुडवा सम्मन (छायाप्रति) जिसमें एक भाग पर सफ़ैदा लगा हुआ था की छायाप्रति (01)।

नोट:- यह एक किता जुडवा सम्मन (छायाप्रति) अभियुक्त पर तामील ही नहीं हुआ था।

2. जनपद न्यायालय झाँसी द्वारा प्राप्त निःशुल्क प्रतिलिपि बावत सम्मन की छायाप्रति दोनों तरफ (01)।

नोट:- यह सम्मन प्रकीर्ण वाद सं० 429/2021 की पत्रावली में अभियुक्त पर दिनांक 23.12.2021 को बजात खास तामील हुआ है जो कॉस्टेबल प्रद्युम्न सिंह थाना नवाबाद द्वारा तामील कराया गया।

12/48

अभियुक्त व्यक्ति का सम्बन्ध

अभियुक्त व्यक्ति का सम्बन्ध

नाम श्री. ए. टी. ए. (Jhansi)
 पता ...
 ...
 ...

नाम ...
 पता ...
 ...

द्वारा

...

...

...


...

...

...

...

...



द्वारा - 17.11.2021, 18.11.2021
(दि. 01 नवंबर - 429/2021)

4B

अभियुक्त व्यक्ति का सम्मन

न्यायालय ADJ F.T.C. (M.F.C.) Jhansi

नाम - चण्डेश्वर शुक्ला (एवम्)

श्री 00 एम.क.पा.क. (द्वारा)

चूंकि आपकी उपस्थिति वास्ते अभियुक्त

..... देने हेतु

अनिवार्य है अतः आप स्वयं न्यायालय उपरोक्त के समक्ष

दिनांक 24-12-21 को सुबह 10

बजे उपस्थित हों ऐसा करने में त्रुटि न हो।

Checked
by me

आज दिनांक 30/11/21 को दिनांकित



30/11/2021
न्यायालय की मुहर
जयप्रकाश (एच.एच.डी. वित्तीय आयोग कोल्लेस्ट्रेटित)

LC/O.P.W.E.
व/0.क.पा.क.

SHO
17/12/21

69
24/12/21


69
24/12/21

26/12/21

25/12/21

69
24/12/21

सत्य प्रतिनिधि
प्रधान
जिला एवं सत्र न्यायाधीश



11 वीर

copy recd.

23/12/2021

रिपोर्ट थाना नवाबाद जनपद झांसी

महोदय

सिविल इंद्रि कल सम्मन की लाठीला
तुस कादही द्वारा कामल मे लापागपा
सम्मन मे अकित व्यक्ति सी टक्की
कुरके बजात खाल लापील करपा
व हस्य वनवाये गमे।

रिपोर्ट सादर सेवा मे प्रेषित है।

का. प्रद्युम्न सिंह
थाना - नवाबाद
23/12/21 झांसी

